

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर 2021—भाद्र 12, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2021

फा. क्र. 3085-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त श्री नवीन पाराशर, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी का स्थानांतरण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2021

फा. क्र. 2881,2809-इक्कीस-ब(दो)-2019.—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मार्च 2021 द्वारा

दिनांक 13 जुलाई 2020 से एक वर्ष के लिये माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ, इंदौर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में पैरवी लोकायुक्त संगठन, भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(8) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री वैभव जैन, अधिवक्ता, इन्दौर के कार्यकाल में दिनांक 14 जुलाई 2021 से एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है. उन्हें मासिक पारिश्रमिक राशि 55,000/- तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक एवं व्यय का भुगतान लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

7985

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

पंजी. क्र. 2808-2021-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय, हरदा में विभागीय, आदेश दिनांक 30 अप्रैल 1992 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री सुरेशचंद्र वर्मा का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवीन कुमार शर्मा, अपर सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2021

क्र. 1349-1036-2021-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लि., श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगलिया जिला-खण्डवा, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4976 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 23 सितम्बर 2021 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रशंकांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2021

क्र. एफ-3-02-2020-तेरह.—यह कि, मेसर्स एम. पी. पॉवर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड, मुख्य कार्यालय CORE-4, स्कोप काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया (TBCB) के माध्यम से मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास हेतु 220/132 के.व्ही. लाइनों के निर्माण कार्य संलग्न परिशिष्ट अनुसार करने का इरादा रखता है.

और यह कि आवेदक मेसर्स एम. पी. पॉवर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश में 220/132 के. व्ही. लाइनों के निर्माण कार्य हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत अनुमति प्रदान करने बावत् आवेदन प्रस्तुत किया है. उक्त पैकेज-II अंतर्गत प्रस्तावित पारेषण लाइनें मध्यप्रदेश के 24 जिलों यथा पन्ना/छतरपुर/सागर/रायसेन/होशंगाबाद/सिंगरौली/विदिशा/शिवपुरी/भिण्ड/श्यापुर/ग्वालियर/छिंदवाड़ा/दमोह/सिवनी/रीवा/कटनी/जबलपुर/उमरिया/शहडोल/नरसिंहपुर/टीकमगढ़/निवाड़ी/मंडला/बालाघाट में हैं एवं क्षेत्र के मुख्य ग्राम लाइनों के मार्ग में सम्मिलित रहेंगे.

अतएव, प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अधीन मेसर्स एम. पी. पॉवर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड, नई दिल्ली को मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न परिशिष्ट के अनुसार 220/132 के. व्ही. लाइनों का निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करता है:—

- (i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति को संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित शिरोपरि पारेषण लाइनों के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा.

- (ii) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी, अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से "राइट ऑफ वे" (आर. ओ. डब्ल्यू.) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा.
- (iii) आवेदक कंपनी उपरोक्त पारोषण लाईनों को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी.पी.टी.सी.एल.) द्वारा अनुमोदित ले-ऑऊट प्लान और लाईन ओरिएंटेशन के अनुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के उपकेन्द्रों में संबद्ध करेगी.
- (iv) आवेदक कंपनी द्वारा पारोषण लाईनों का निर्माण कार्य टोपो शीट पर चिह्नित प्रस्तावित मार्ग के अनुरूप किया जाएगा.
- (v) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाईनों का निर्माण विद्युत अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 (यथा संशोधित), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010 (यथा संशोधित) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम, 2011 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा.
- (vi) आवेदक कंपनी को गांवों/शहरों के उन भूमि मालिकों से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त करना होगा, जिनकी भूमि पर लाईन के टॉवरों को खड़ा किया जाना है.
- (vii) पारोषण लाईनों के टॉवर बेस और आर. ओ. डब्ल्यू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा.
- (viii) यदि लाईनों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है, तो आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी.
- (ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाईनों के विद्यमान पारोषण लाईनों, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, नदी, रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी, सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी.
- (x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाईनें पास करने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी. हालांकि लाईन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से, "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी.
- (xi) यदि प्रस्तावित लाईनें दूरसंचार लाईनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाईनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेना होगा.
- (xii) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाईनों को ऊर्जाकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा.
- (xiii) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् लाईनों को ऊर्जाकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को अपने व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी.
- (xiv) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत/सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा.
- (xv) यदि आवेदक कंपनी की लाईनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है, तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा.
- (xvi) आवेदक कंपनी राज्य/केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय-समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी.
- (xvii) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य सरकार को प्रतिरक्षित रखेगी.
- (xviii) लाईनों के निर्माण के लिए उपरोक्त अनुमति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है. आवेदक कंपनी द्वारा इस अवधि के भीतर निर्माण पूरा कर राज्य शासन और मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सूचित करना होगा.
- (xix) सरकार उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने पर किसी भी समय अनुमोदन को वापस या रद्द कर सकती है.
- (xx) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर, यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी.

क्रमांक	परिशिष्ट	पारेषण कार्य
1.	220/132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, अजयगढ़ (जिला पन्ना)	
i.	अजयगढ़ 220 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये सतना-छतरपुर 220 के. व्ही. लाइन के दोनों सर्किट का लीलो कार्य.	
ii.	अजयगढ़-पन्ना 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.	
iii.	अजयगढ़-लवकुश नगर (लौंडी) 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.	
2.	220/132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, बेगमगंज (जिला रायसेन)	
i.	सागर-बेगमगंज 220 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.	
ii.	बेगमगंज-राहतगढ़ 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.	
iii.	बेगमगंज-सिलवानी 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.	
iv.	बेगमगंज-ग्यारसपुर 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.	
v.	बेगमगंज-गैरतगंज 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.	
3.	220/132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, बरगवां (जिला सिंगरौली)	
i.	बरगवां 220 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये सीधी-हिंडालकों 220 के. व्ही. लाइन के दोनों सर्किट का लीलो कार्य.	
ii.	बरगवां 220 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये रजमिलान-मोरवा 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.	
iii.	बरगवां 220 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये बैढ़न-मोरवा 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.	
4.	132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, मेहलुआ चौराहा (जिला विदिशा)	
i.	मेहलुआ चौराहा 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये बीना-गंजबासौदा 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.	
5.	132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, नरवर (जिला शिवपुरी)	
i.	नरवर 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये मढीखेड़ा-करेरा 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.	
6.	132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, कनाथर (जिला भिण्ड)	
i.	कनाथर 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये मेहगांव 220-सेंवड़ा 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.	
ii.	हस्तिनापुर-कनाथर 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.	
7.	132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, बीरपुर (जिला श्योपुर)	
i.	बीरपुर 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये सबलगढ़-श्योपुर 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.	
8.	132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, एमईएस ग्वालियर (जिला ग्वालियर)	
i.	मालनपुर 220-एमईएस ग्वालियर 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाइन.	
9.	132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, खनियाधाना (जिला शिवपुरी)	
i.	खनियाधाना 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये पिछोर-राजघाट 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.	
10.	132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, चाँद (जिला छिंदवाड़ा)	
i.	छिंदवाड़ा 220-चाँद 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.	
ii.	चाँद-बिछुआ 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.	
11.	132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, केवलारी (जिला सिवनी)	
i.	केवलारी 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये सिवनी 220-नैनपुर 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.	
12.	132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, देवेन्द्र नगर (जिला पन्ना)	
i.	देवेन्द्रनगर 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये सतना-पन्ना 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.	
13.	132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, सिमरिया (जिला पन्ना)	
i.	पटेरा-सिमरिया 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.	
ii.	सिमरिया-हट्टा 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.	
14.	132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, खैरा (मनिकवार) (जिला रीवा)	
i.	मऊगंज-खैरा (मनिकवार) 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.	
ii.	खैरा (मनिकवार) मनगांवां 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.	
15.	132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, बहोरीबंद (जिला कटनी)	
i.	बहोरीबंद-कटंगी 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.	
ii.	स्लीमनाबाद-बहोरीबंद 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.	

16. 220/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, मानपुर (बिजौरी) (जिला उमरिया)

- i. मानपुर (बिजौरी) 220/33 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये बिरसिंगपुर-सतना 220 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.

17. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, गोपालगंज (कुरई) (जिला सिवनी)

- i. गोपालगंज (कुरई) 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये पेंच-सिवनी 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.

18. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, हरई (जिला छिंदवाड़ा)

- i. देवनगर-हरई 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.
ii. हरई-अमरवाड़ा 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.

19. प्रणाली सुदृढीकरण कार्य

- i. दिगौड़ा-पृथ्वीपुर 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.
ii. बैहर 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये नैनपुर-मंडला लाइन का लीलो कार्य.

Bhopal, dated 26th August 2021

No. F-3-02-2020-13.—Whereas, the applicant M/s M. P. Power Transmission Package-II Limited with H.Q. at CORE-4, SCOPE COMPLEX, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003 intends to develop Transmission System, in different area of MP regarding construction of 220 KV/132 KV lines as Per enclosed Annexure under Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) process.

And whereas, the applicant M/s M.P. Power Transmission Package-II Limited has applied for the permission to construct above mentioned 220 KV/132 KV lines in Madhya Pradesh, under Section 68 of the Electricity Act 2003. The proposed transmission lines as per Package-II are in 24 different districts of Madhya Pradesh i.e. Panna, Chhattarpur, Sagar, Raisen, Hoshangabad, Singrauli, Vidisha, Shivpuri, Bhind, Sheopur, Gwalior, Chhindwara, Damoh, Seoni, Rewa, Katni, Jabalpur, Umariya, Shahdol, Narsinghpur, Tikamgarh, Niwari, Mandla and Balaghat and line route covers main villages in the area.

Therefore, the State Government after consideration of the application received, accords permission to M/s MP Power Transmission Package-II Limited, New Delhi,

under Section 68 of the Electricity Act 2003, for construction of above mentioned 220 KV/132 KV overhead lines in different areas of Madhya Pradesh, subject to the following terms and conditions:—

- i. The permission accorded under Section 68 of the Electricity Act, 2003 shall be limited up to laying/construction of the overhead transmission lines as mentioned in Annexure for the purpose specified as above.
- ii. The applicant Company shall be responsible to obtain "Right of Way" (RoW) clearance from District Magistrate, concerned departments and land owners at its own cost.
- iii. The applicant Company, shall terminate the transmission lines at MPPTCL's substations in accordance with the Lay-out plan & line orientation as approved by MPPTCL.
- iv. The construction of transmission lines will be done by the Applicant Company as per proposed route as marked on the topo sheet.
- v. The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act-2003 as amended time to time and rules & regulations framed thereunder and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2010 (as amended), CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2010 (as amended) and CEA (Safety Requirements for construction, operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2011 (as amended).
- vi. The Applicant Company will be required to obtain "NO OBJECTION CERTIFICATE" from land owners of the Villages / Towns on whose land, support towers are to be erected.
- vii. The land compensations towards damages in regard to tower base & ROW corridor for transmission lines will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent Revenue authority.
- viii. In case cutting of trees is required for construction of lines, the Applicant Company shall obtain prior permission from the Competent Authority.

- ix. In case of proposed crossing of the overhead line with existing Transmission lines, National/State highway, river, railway track, the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority.
- x. In case the lines are proposed to pass over the forest land, the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in forest area. However, 'No Objection Certificate' of competent forest authority shall be required in case of the non-involvement of forest with laying of the line.
- xi. In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees, the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities.
- xii. The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act, 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before proposed line is energized/charged.
- xiii. On completion of construction work of the proposed lines, the Applicant Company shall have to obtain permission from Electrical Inspector, before charging the lines, at its own cost.
- xiv. If there is any damage to personal/public property during construction of proposed lines, Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority.
- xv. If any charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision, the same shall be payable by the Applicant Company.
- xvi. The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements of State/Central Govt. prevailing and as amended from time to time.
- xvii. The Applicant Company shall indemnify the State Govt. from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between him and other party due to accident or any other reason during the work.
- xviii. The permission for construction of lines is for four years from the date of order issued by State

Government. The Applicant Company shall complete the construction within this period and intimate the State Government and MPPTCL.

- xix. The Government may withdraw or cancel the approval at any time on expiry of the stipulated time period.
- xx. On violation of any of the above mentioned terms/conditions, the permission shall stand CANCELLED automatically.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज अग्रवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Annexure

- | Sl. No. | Transmission Elements |
|--|--|
| 1. 220/132/33kV substation Ajaygarh (District-Panna) | |
| i. | LILO of both circuits of Satna-Chhatarpur 220kV line at Ajaygarh 220kV S/s |
| ii. | Ajaygarh-Panna 132kV DCDS line |
| iii. | Ajaygarh-Luvkushnagar (Laundi) 132kV DCSS line |
| 2. 220/132/33kV substation Begamganj (District-Raisen) | |
| i. | Sagar-Begamganj 220kV DCDS line. |
| ii. | Begamganj-Rahatgarh 132kV DCSS line. |
| iii. | Begamganj-Silwani 132kV DCSS line. |
| iv. | Begamganj-Gyaraspur 132kV DCSS line. |
| v. | Begamganj-Gairatganj 132kV DCDS line. |
| 3. 220/132/33kV Substation at Bargawan (District-Singrauli) | |
| i. | LILO of both circuits of Sidhi-Hindalco 220kV line at Bargawan 220kV S/s. |
| ii. | LILO of Rajmilan-Morwa 132kV line at Bargawan 220kV S/s. |
| iii. | LILO of Waidhan-Morwa 132kV line at Bargawan 220kV S/s. |

- 4. 132/33kV substation at Mehaluwa Chauraha (District-Vidisha)**
- LILO of Bina-Ganjbasoda 132kV line at Mehaluwa Chauraha 132kV S/s
- 5. 132/33kV substation at Narwar (District-Shivpuri)**
- LILO of Madhikheda-Karera 132 kV line at Narwar 132kV S/s
- 6. 132/33 kV substation at Kanather (District-Bhind)**
- LILO of Mehgaon 220-Seondha 132kV line at Kanather 132kV S/s
 - Hastinapur-Kanather 132kV DCSS line.
- 7. 132/33 kV substation at Beerpur (District-Sheopur)**
- LILO of Sabalgarh-Sheopur 132kV line at Beerpur 132kV S/s.
- 8. 132/33kV substation at MES Gwalior (District-Gwalior)**
- Malanpur 220-MES Gwalior 132kV DCDS line.
- 9. 132/33kV substation at Khaniyadana (District-Shivpuri)**
- LILO of Pichhore-Rajghat 132kV line at Khaniyadana 132kV S/s.
- 10. 132/33kV substation at Chand (District-Chhindwara)**
- Chhindwara 220-Chand 132kV DCSS line
 - Chand- Bichhua 132kV DCSS line
- 11. 132/33kV substation at Keolari (District-Seoni)**
- LILO of Seoni 220-Nainpur 132kV line at Keolari 132kV S/s
- 12. 132/33kV substation at Devendranagar (District-Panna)**
- LILO of Satna-Panna 132kV line at Devendranagar 132kV S/s
- 13. 132/33kV substation at Semariya (District-Panna)**
- Patera-Semariya 132kV DCSS line.
 - Semariya-Hatta 132kV DCSS line.
- 14. 132/33kV substation at Khaira (Manikwar) (District-Rewa)**
- Mauganj - Khaira (Manikwar) 132kV DCSS line.
 - Khaira (Manikwar) - Mangawan 132kV DCSS line.
- 15. 132/33kV substation at Bahoribandh (District-Katni)**
- Sleemnabad-Bahoribandh 132kV DCSS line.
 - Bahoribandh-Katangi 132kV DCSS line
- 16. 220/33kV substation at Manpur (Bijouri) (District-Umariya)**
- LILO of Birsinghpur-Satna 220kV line at Manpur (Bijouri) 220/33kV S/s.
- 17. 132/33kV substation at Gopalganj (Kurai) (District-Seoni)**
- LILO of Pench-Seoni 132kV line at Gopalganj (Kurai) 132kV S/s.
- 18. 132/33kV substation Harrai (District-Chhindwara)**
- Deonagar-Harrai 132kV DCSS line.
 - Harrai-Amarwara 132kV DCSS line
- 19. System Strengthening Works**
- Digoda-Prithivipur 132kV DCSS line.
 - LILO of Nainpur- Mandla 132kV line at Baihar 132kV S/s

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र. एफ-15-06-2018-दस-2.—मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 के नियम 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करता है:—

अनुसूची

क्र. (1)	वनमण्डल (2)	परिक्षेत्र (3)	स्थल (4)	कक्ष क्रमांक (5)	क्षेत्रफल (हे. में) (6)	सीमार्ये (7)
1	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया.	मानपुर बफर	खोहरा फॉल	आरक्षित वन-193	05.00	पूर्व-सोन नदी पश्चिम-पर्यटन रोड (व्यू प्वाइण्ट से खोहराफॉल). उत्तर-झिरिया (नाला) दक्षिण-खोहरा फॉल (पर्यटन)
2	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया.	मानपुर बफर	सनसेट प्वाइण्ड	आरक्षित वन-271	05.00	पूर्व-हाथी झील पश्चिम-बड़ादेव हार उत्तर-गजवाही दक्षिण-पटपरिहा नाला
3	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया.	मानपुर बफर	जोहिला फॉल	आरक्षित वन-267	12.50	पूर्व-मैर (राजस्व क्षेत्र) पश्चिम-जोहिला नदी उत्तर-जोहिला नदी दक्षिण-मकरा ग्राम
4	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया.	मानपुर बफर	व्यू प्वाइण्ट (सरइहा)	आरक्षित वन-193	05.00	पूर्व-सोन नदी पश्चिम-जमुनिहा से व्यू प्वाइण्ट (पर्यटन रोड) उत्तर-खिचकिड़ि से खोहराफॉल (पर्यटन रोड) दक्षिण-पैली वनमार्ग (पगडण्डी)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पद्माप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र. एफ-15-06-2018-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-15-06-2018-दस-2 दिनांक 18 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पद्माप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

Bhopal, the 18th August 2021

No.-F-15-06-2018-X-2.—In exercis of the powers conferred by the rule 3(1) of Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. The State Government hereby declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hact.)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bandhavgarh Tiger Reserve, Umariya.	Manpur Buffer	Khohra Fall	RF-193	05.00	East—Son River. West—Tourism Road (View point to Khohra fall) North—Jhiriya (Nala) South—Khohra Fall (Tourism).
2.	Bandhavgarh Tiger Reserve, Umariya.	Manpur Buffer	Sunset Point	RF-271	05.00	East—Hathi Jheel. West—Badadev Har North—Gajwahi South—Patpariha Nala
3.	Bandhavgarh Tiger Reserve, Umariya.	Manpur Buffer	Johila Fall	RF-267	12.50	East—Mair (Revenue Area) West—Johila River North—Johila River South—Makra Village.
4.	Bandhavgarh Tiger Reserve, Umariya.	Manpur Buffer	View Point (Sariha)	RF-193	05.00	East—Son River. West—Jamuniha to View Point (Tourism Road). North—Khichkidi to Khohrafall (Tourism Road). South—Paili Vanmarg (Pagdandi).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PADMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2021

क्र. सि.एट-वि.प्रशि.एवं परीक्षा-New ADA-27-2021-22-1492.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016-चौदह-1, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (सियेट) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.

संस्थान द्वारा नव नियुक्त सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 10 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र-स्थापना (पुस्तकों सहित) विषय की परीक्षा

सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:—

उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्रीमती बिन्दुलता बारेकर	सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.	अनु. ज. जा.	प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, उज्जैन.
2	श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर	सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.	अन्य पिछड़ा वर्ग	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विदिशा.
3	श्री वसीम खान नायता	सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.	अन्य पिछड़ा वर्ग	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजगढ़.
4	श्री विनोद कुमार जाटव	सहायक संचालक सांख्यिकी.	अनु. जाति	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, ग्वालियर.

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

1 निरंक

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी

1 निरंक

क्र. सि.एट-वि.प्रशि.एवं परीक्षा-New ADA-27-2021-22-1494.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016-चौदह-1, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (सियेट) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.

संस्थान द्वारा नव नियुक्त सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 12 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र-लेखा-प्रथम (पुस्तकों सहित) विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:—

उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्रीमती बिन्दुलता बारेकर	सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.	अनु. ज. जा.	प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, उज्जैन.
2	श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर	सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.	अन्य पिछड़ा वर्ग	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विदिशा.
3	श्री वसीम खान नायता	सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.	अन्य पिछड़ा वर्ग	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजगढ़.
4	श्री विनोद कुमार जाटव	सहायक संचालक सांख्यिकी	अनु. जाति	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, ग्वालियर.
क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

1 निरंक

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी

1 निरंक

क्र. सि.एट-वि.प्रशि.एवं परीक्षा-New ADA-27-2021-22-1496.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016-चौदह-1, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (सियेट) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.

संस्थान द्वारा नव नियुक्त सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 14 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र-लेखा-द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निर्मांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:—

उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्रीमती बिन्दुलता बारेकर	सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.	अनु. ज. जा.	प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, उज्जैन.
2	श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर	सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.	अन्य पिछड़ा वर्ग	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विदिशा.
3	श्री वसीम खॉन नायता	सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.	अन्य पिछड़ा वर्ग	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजगढ़.
4	श्री विनोद कुमार जाटव	सहायक संचालक सांख्यिकी	अनु. जाति	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, ग्वालियर.

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

1 निरंक

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी

1 निरंक

क्र. सि.एट-वि.प्रशि.एवं परीक्षा-New ADA-27-2021-22-1498.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016-चौदह-1, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (सियेट) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.

संस्थान द्वारा नव नियुक्त सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 15 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र-कृषि संबंधी नियम एवं अधिनियम तथा विभागीय योजना विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:—

उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्रीमती बिन्दुलता बारेकर	सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.	अनु. ज. जा.	प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, उज्जैन.
2	श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर	सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.	अन्य पिछड़ा वर्ग	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विदिशा.
3	श्री वसीम खॉन नायता	सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.	अन्य पिछड़ा वर्ग	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजगढ़.
4	श्री विनोद कुमार जाटव	सहायक संचालक सांख्यिकी	अनु. जाति	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, ग्वालियर.
क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

1 निरंक

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी

1 निरंक

क्र. सि.एट-वि.प्रशि.एवं परीक्षा-New ADA-27-2021-22-1500.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016-चौदह-1, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (सियेट) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.

संस्थान द्वारा नव नियुक्त सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 16 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र-प्रबंधन एवं आई.टी. विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निर्मांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:—

उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्रीमती बिन्दुलता बारेकर	सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.	अनु. ज. जा.	प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, उज्जैन.
2	श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर	सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.	अन्य पिछड़ा वर्ग	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विदिशा.
3	श्री वसीम खान नायता	सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.	अन्य पिछड़ा वर्ग	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजगढ़.
4	श्री विनोद कुमार जाटव	सहायक संचालक सांख्यिकी.	अनु. जाति	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, ग्वालियर.

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

1 निरंक

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी

1 निरंक

क्र. सि.एट-वि.प्रशि.एवं परीक्षा-New ADA-27-2021-22-1502.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016-चौदह-1, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (सियेट) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.

संस्थान द्वारा नव नियुक्त कृषि विकास अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 10 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र-स्थापना (पुस्तकों सहित) विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:—

उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री गोपाल बोयल	कृषि वि. अधि.	अनु. जाति	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड बड़ौदा, आगर मालवा.
2	श्री महेश बर्मन	कृषि वि. अधि.	अनु. ज. जाति	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड मनावर, धार.
3	श्रीमती सर्वजया काकोड़े	कृषि वि. अधि.	अनु. ज. जाति	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड महू, इन्दौर.
4	श्री अरूण कुमार शाक्य	कृषि वि. अधि.	अनु. जाति	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, श्योपुर.

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

1			निरंक	
क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी

1			निरंक	
---	--	--	-------	--

क्र. सि.एट-वि.प्रशि.एवं परीक्षा-New ADA-27-2021-22-1504.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016-चौदह-1, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (सियेट) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.

संस्थान द्वारा नव नियुक्त कृषि विकास अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 12 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र-लेखा-प्रथम (पुस्तकों सहित) विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:—

उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री गोपाल बोयल	कृषि वि. अधि.	अनु. जाति	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड बड़ौदा, आगर मालवा.
2	श्री महेश बर्मन	कृषि वि. अधि.	अनु. ज. जाति	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड मनावर, धार.
3	श्रीमती सर्वजया काकोड़े	कृषि वि. अधि.	अनु. ज. जाति	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड महू, इन्दौर.
4	श्री अरूण कुमार शाक्य	कृषि वि. अधि.	अनु. जाति	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, श्योपुर.

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

1			निरंक	
क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी

1			निरंक	
---	--	--	-------	--

क्र. सिपेट-वि.प्रशि.एवं परीक्षा-New ADA-27-2021-22-1506.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016-चौदह-1, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (सियेट) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.

संस्थान द्वारा नव नियुक्त कृषि विकास अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 14 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र-लेखा-द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:—

उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री गोपाल बोयल	कृषि वि. अधि.	अनु. जाति	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड बड़ौदा, आगर मालवा.
2	श्री महेश बर्मन	कृषि वि. अधि.	अनु. ज. जाति	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड मनावर, धार.
3	श्रीमती सर्वजया काकोड़े	कृषि वि. अधि.	अनु. ज. जाति	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड महु, इन्दौर.
4	श्री अरूण कुमार शाक्य	कृषि वि. अधि.	अनु. जाति	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, श्योपुर.

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

1			निरंक	
क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी

1			निरंक	
---	--	--	-------	--

क्र. सिएट-वि.प्रशि.एवं परीक्षा-New ADA-27-2021-22-1508.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016-चौदह-1, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (सियेट) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.

संस्थान द्वारा नव नियुक्त कृषि विकास अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 15 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र-कृषि संबंधी नियम एवं अधिनियम तथा विभागीय योजना विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:—

उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री गोपाल बोयल	कृषि वि. अधि.	अनु. जाति	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड बड़ौदा, आगर मालवा.
2	श्री महेश बर्मन	कृषि वि. अधि.	अनु. ज. जाति	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड मनावर, धार.
3	श्रीमती सर्वजया काकोड़े	कृषि वि. अधि.	अनु. ज. जाति	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड महु, इन्दौर.
4	श्री अरूण कुमार शाक्य	कृषि वि. अधि.	अनु. जाति	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, श्योपुर.

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

1			निरंक	
क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी

1			निरंक	
---	--	--	-------	--

क्र. सि.एट-वि.प्रशि.एवं परीक्षा-New ADA-27-2021-22-1510.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016-चौदह-1, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (सियेट) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.

संस्थान द्वारा नव नियुक्त कृषि विकास अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 16 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र-प्रबंधन एवं आई.टी. विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:—

उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री गोपाल बोयल	कृषि वि. अधि.	अनु. जाति	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड बड़ौदा, आगर मालवा.
2	श्री महेश बर्मन	कृषि वि. अधि.	अनु. ज. जाति	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड मनावर, धार.
3	श्रीमती सर्वजया काकोड़े	कृषि वि. अधि.	अनु. ज. जाति	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड महु, इन्दौर.
4	श्री अरूण कुमार शाक्य	कृषि वि. अधि.	अनु. जाति	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, श्योपुर.

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी

1 निरंक

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी

1 निरंक

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2021

क्र. सि.एट-वि.प्रशि.एवं परीक्षा-New ADA-19-2021-22-1512.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016-चौदह-1, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (सियेट) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.

संस्थान द्वारा नव नियुक्त सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभागीय आधारभूत प्रशिक्षण (द्वितीय बैच) दिनांक 05 दिसम्बर 2016 से 04 फरवरी 2017 तक आयोजित किया गया था. दिनांक 28 जनवरी 2017 से 2 फरवरी 2017 तक परीक्षा आयोजित की गई. जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16 जून 2017 में किया गया. लिपिकीय त्रुटिवश श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, (सहायक संचालक, क्षेत्र विस्तार) के स्थान पर श्री सुरेश कुमार शर्मा नाम अंकित है. जो त्रुटिपूर्ण है.

अतः सुरेश कुमार शर्मा के स्थान पर श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा (सहायक संचालक, क्षेत्र विस्तार) पढ़ा जावे.

क्र. सि.एट-वि.प्रशि.एवं परीक्षा-New ADA-19-2021-22-1514.—संस्थान द्वारा नव नियुक्त सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभागीय आधारभूत प्रशिक्षण (तृतीय बैच) दिनांक 2 जून 2017 से 31 जुलाई 2017 तक आयोजित किया गया था. जिसका परीक्षा का विषयवार आयोजन दिनांक 26 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक कराया गया था. परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 12 जनवरी 2018 में प्रकाशित किया गया. लिपिकीय त्रुटिवश परीक्षाओं की तिथियां सही नहीं पाई गई हैं, जिनकी तिथियों में संशोधन किया जाना आवश्यक है. विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	प्रश्न पत्र का नाम	राजपत्र में प्रकाशित परीक्षा दिनांक	प्रश्न पत्र आयोजन की सही दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	स्थापना (पुस्तक सहित)	26-06-2017	26-07-2017
2	लेखा प्रथम (पुस्तक सहित)	27-06-2017	27-07-2017
3	लेखा द्वितीय (पुस्तक सहित)	28-06-2017	28-07-2017
4	कृषि संबंधी नियम अधिनियम	29-06-2017	29-07-2017

उपरोक्त कॉलम नम्बर 4 में दर्शित तिथियों को ही सही पढ़ा जावे.

के. पी. अहरवाल, संचालक.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 08-भू-अर्जन-2021-22

दमोह, दिनांक 19 अगस्त 2021

प्रकरण क्रमांक 03 अ/82 वर्ष 2021-22 चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि अधिसूचना अनुसूची के कॉलम क्रमांक (01) से (04) में वर्णित भूमि अनुसूची के खाने (06) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है, अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (01) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची कॉलम (05) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन				धारा-11 की उपधारा (01) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हे.मे)		
01	02	03	04	05	06
दमोह	दमोह	दमोह खास	0.039 हे० (निजी भूमि)	उप मुख्य अभियंता/नि. पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल	बीना-कटनी तृतीय रेललाईन परियोजना

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड दमोह एवं उप मुख्य अभियंता/नि. पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पु. क्र. 20-अ-82-2019-2020-6858

सागर, दिनांक 7 जुलाई 2021

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की किशनगढ़ जलाशय योजनान्तर्गत बाँध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से 500 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : किशनगढ़ जलाशय योजनान्तर्गत बाँध निर्माण
 (2) भूमि का विवरण-
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : रहली
 3. ग्राम : किशनगढ़
 4. पट.ह.नं. : 35
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 51.91 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

क्र. स.	नाम भूमि स्वामी/पिता- पति का नाम निवास	स्वामित्व का प्रकार	प्रभावित ख. नं.	कुल रकवा हे. में.	अर्जित रकवा हे. में.	शेष रकवा हे. में.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नरान पिता कलू	भूमि स्वामी	88/1	0.34	0.34	0.00	
2	राजदुलारी पति लीलाधर	भूमि स्वामी	15/1	1.40	0.40	1.00	
3	लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद वल्द फुन्दीलाल	भूमि स्वामी	82	3.88	3.88	0.00	
		भूमि स्वामी	89	2.17	2.17	0.00	
4	लीलाधर वल्द मोतीलाल	भूमि स्वामी	70	3.16	0.85	2.31	
		भूमि स्वामी	73/3	0.32	0.32	0.00	
5	उदेमान पिता सुन्दरलाल	भूमि स्वामी	92/1	0.73	0.73	0.00	
		भूमि स्वामी	93/1	0.11	0.11	0.00	
		भूमि स्वामी	103/1	0.49	0.49	0.00	
6	पवन कुमार रामकृष्ण पिस. जगदीश श्यामसुन्दर रमाकांत नाबा. बल्द व बली जगदीश	भूमि स्वामी	62	0.30	0.30	0.00	
7	मनोज कुमार, ललितकुमार पिस. नारदप्रसाद	भूमि स्वामी	63/1	0.12	0.12	0.00	
8	रमाकांत, श्यामसुन्दर ना.बा. पिता व बली जगदीश पिता बैजनाथ	भूमि स्वामी	63/2	0.18	0.18	0.00	

9	रामसींग, रघुवीर, पिस. रामचरण रामवती पुत्री रामचरण जनकरानी बेवा रामचरण नरेन्द्र धीरज पिता भगवानदास इमरती सीमा हल्ली पुत्री भगवानदास सरोजरानी बेवा भगवानदास	भूमि स्वामी	64	1.11	1.11	0.00
10	भैयाराम, घनश्याम पिता प्यारेलाल	भूमि स्वामी	65	0.57	0.57	0.00
11	प्यारेलाल वल्द दयाराम	भूमि स्वामी	66/1	0.05	0.05	0.00
12	विपिनकुमार पिता हरीशचन्द्र	भूमि स्वामी	66/2	0.40	0.20	0.20
13	उदल पिता गोकल	भूमि स्वामी	67/1	0.31	0.04	0.27
14	गनेश पिता गोकल	भूमि स्वामी	67/2	0.31	0.04	0.27
15	धरमदास पिता गोकल	भूमि स्वामी	67/3	0.31	0.04	0.27
16	हरिराम पिता गोकल	भूमि स्वामी	67/4	0.31	0.03	0.28
17	रूपसींग, रघुनाथसींग, भगवानदास पिता रामचरण	भूमि स्वामी	69	1.15	0.10	1.05
18	जानकीबाई, गिरजाबाई, सावित्री बाई पुत्री कन्हैयालाल कुसुमरानी बेवा कन्हैयालाल	भूमि स्वामी	73/1	0.33	0.33	0.00
19	मुकेशकुमार वल्द महादेवप्रसाद	भूमि स्वामी	91/1	1.20	1.20	0.00
20	ज्योति शर्मा जोजे विपिन कुमार शर्मा	भूमि स्वामी	71/2	1.31	0.61	0.70
21	प्रकाश कुमार पिता घनश्याम	भूमि स्वामी	73/2	1.47	1.47	0.00
22	भगवानदास पिता आशाराम, इमरती पुत्री आशाराम, सदारानी बेवा आशाराम	भूमि स्वामी	74	1.40	1.40	0.00
23	देवेन्द्र पिता घनश्याम प्रसाद	भूमि स्वामी	75/1	1.50	1.50	0.00
24	प्रदीप पिता घनश्याम प्रसाद	भूमि स्वामी	75/2	1.36	1.36	0.00
25	बलराम पिता गनेश	भूमि स्वामी	76/1	0.17	0.17	0.00
26	चूरामन पिता बलराम	भूमि स्वामी	76/2	0.40	0.40	0.00
27	भजन पिता बलराम	भूमि स्वामी	76/3	0.40	0.40	0.00
28	मानसींग बल्द छुट्टी	भूमि स्वामी	77	0.81	0.81	0.00
29	बलराम पिता गनेश	भूमि स्वामी	78/1	0.24	0.24	0.00
30	हल्लू पिता बलराम	भूमि स्वामी	78/2	0.40	0.40	0.00
31	खरगराम पिता बलराम	भूमि स्वामी	78/3	0.40	0.40	0.00
32	मुकेश पिता बलराम	भूमि स्वामी	78/4	0.40	0.40	0.00
33	देवी पिता बलराम	भूमि स्वामी	78/5	0.40	0.40	0.00
34	वीरेन्द्र कुमार वल्द फुन्दीलाल	भूमि स्वामी	79	1.82	1.82	0.00
35	रूपसींग, रघुवीर, भगवानदास पिता रामचरण जनक रानी बेवा रामचरण रामवती पुत्री रामचरण मानसींग पि.छुट्टी बेटीबाई सुमनबाई पुत्री छुट्टी शिबू काशीराम रतिराम नन्हेमाई मोहन पिता छुट्टी कल्लो बाई पुत्री छुट्टी शैव पिता रमेश सदारानी बेवा रमेश	भूमि स्वामी	80/1	0.84	0.84	0.00
36	मानसींग बल्द छुट्टी	भूमि स्वामी	80/2	0.17	0.17	0.00
37	सूर्यकांत वल्द श्यामसुन्दर	भूमि स्वामी	81	1.85	1.85	0.00

38	पार्वती बाई जोजे तुलसीराम	भूमि स्वामी	83/1	0.79	0.79	0.00
		भूमि स्वामी	84/4	0.40	0.40	0.00
39	विद्याबाई पति कामताप्रसाद	भूमि स्वामी	83/2	0.78	0.78	0.00
		भूमि स्वामी	84/1	0.40	0.40	0.00
40	गुलाबरानी जोजे परशराम	भूमि स्वामी	84/2	0.40	0.40	0.00
		भूमि स्वामी	85/2	0.82	0.82	0.00
41	सुदर्शन पिता प्रीतम, अभिषेक पिता प्रीतम, श्रीराम पिता प्रीतम, प्रीतम पिता धनसींग	भूमि स्वामी	84/3	0.40	0.40	0.00
		भूमि स्वामी	85/1	0.82	0.82	0.00
42	राधेश्याम पिता तेजीजाल	भूमि स्वामी	86/1	1.08	1.08	0.00
43	नन्हूराम पिता प्यारेलाल	भूमि स्वामी	87	1.43	1.43	0.00
44	वीरेन्द्र कुमार बल्द फुन्दीलाल	भूमि स्वामी	90	2.17	2.17	0.00
45	परशुराम बल्द महादेव प्रसाद	भूमि स्वामी	91/2	0.53	0.53	0.00
46	राजेन्द्र पिता मुकुंदी, जगदीश पिता मुकुंदी, सीताराम पिता मुकुंदी, सुनील पिता मुकुंदी, प्रभाबाई कलावती मीना पुत्री मुकुंदी	भूमि स्वामी	92/2	0.36	0.36	0.00
		भूमि स्वामी	93/2	0.05	0.05	0.00
		भूमि स्वामी	103/2	0.25	0.25	0.00
		भूमि स्वामी	105/2	0.71	0.71	0.00
		भूमि स्वामी	109/2	1.40	0.90	0.50
47	मुलाबाई पुत्री छुट्टी	भूमि स्वामी	92/3	0.36	0.36	0.00
		भूमि स्वामी	103/3	0.25	0.25	0.00
		भूमि स्वामी	105/3	0.71	0.71	0.00
		भूमि स्वामी	109/3	1.40	0.90	0.50
48	लाखन, वीरेन्द्र पि. फुन्दीलाल नारायण बल्द कलू ताराबाई उमाबाई पुत्री कलू	भूमि स्वामी	99	0.57	0.57	0.00
		भूमि स्वामी	101	3.23	0.30	2.93
49	सुरेन्द्र सिंह पिता धीरज सिंह	भूमि स्वामी	100/1	1.72	0.55	1.17
		भूमि स्वामी	102/1	0.32	0.32	0.00
		भूमि स्वामी	88/2	1.20	1.20	0.00
50	मधु पति सुरेन्द्र सिंह	भूमि स्वामी	100/2	1.20	0.60	0.60
		भूमि स्वामी	86/2	0.35	0.35	0.00
		भूमि स्वामी	96	0.05	0.05	0.00
51	माखन पिता मोहनलाल	भूमि स्वामी	104	0.69	0.69	0.00
52	राधेरानी पति उदयभान	भूमि स्वामी	105/1	1.43	1.43	0.00
53	राधेश्याम नंदराम बल्द मानसींग	भूमि स्वामी	106	1.21	0.81	0.40
54	अरुण कुमार पि. उदेभान	भूमि स्वामी	109/1	1.40	0.90	0.50
55	प्रकाश पि. उदेभान	भूमि स्वामी	109/4	1.39	1.39	0.00
कुल रकवा				64.86	51.91	12.95

Handwritten signature

Handwritten mark

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 15-अ-82-21-22-भू-अर्जन-2021-7104

सागर, दिनांक 15 जुलाई 2021

मौजा बरौदा रहली पट. ह. नं. 113 तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को बरौदा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 500 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों (मकानों) का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बरौदा जलाशय परियोजना
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : बरौदा रहली
 4. पट.ह.नं.- : 113
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 61.51 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्मित मकान

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	प्रभावित मकानधारक का नाम	प्रभावित मकान का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	शासकीय चारागाह	854	1.050	रामदयाल पिता खन्ता अहिरवार मंदिर	16.50 2.39	
2	शासीय वन	855/976	17.180	माखन पिता खन्ता अहिरवार	16.72	
3				उद्धेत पिता लच्छु अहिरवार	25.90	
योग:-		02	18.230		61.51	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी

अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 6-अ-82-20-21-6319

बैतूल, दिनांक 9 जुलाई 2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	धनोरी	1.214	घोघरी मध्यम परियोजना हेतु

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र०	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	कुलअर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	चिरोंजी पुत्र मूंगाजी , घुड़्या पुत्र सीताराम, गुलाबराव पुत्र गेंदलाल जाति कोरकू सा० देह	2	1.214	1.214
	योग :-	-	1.214	1.214

(2) चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 44-अ-82-19-20-7334

बैतूल, दिनांक 9 जुलाई 2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	आमला	लालावाड़ी	0.166	जल आवर्धन योजना हेतु बैराज निर्माण एवं मार्ग हेतु ।

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबाहे.	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	सरजेराव व० घन्ना जाति कुन्बी सा०देह भूमि स्वामी	66/2	0.789	0.040
2	पंजाबराव, सहदेव, व० तुमडया जाति कुन्बीसा० दह भूमि स्वामी	67/1	0.594	0.126
योग:-			1.383	0166

(2) चूंकि जल आवर्धन योजना अन्तर्गत बैराज एवं रास्ते के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 43-अ-82-19-20-7332

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	आमला	काजली	0.566	जल आवर्धन योजना हेतु बैराज निर्माण एवं मार्ग हेतु ।

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबाहे.	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	दगडी पिता धन्नु सा. देह भू-स्वामी	252	0.162	0.030
		253	0.279	0.028
2	पिखेली बेवा धनाराम, गौरीशंकर पिता धनाराम, भीमराव पिता धनाराम, केवल, लता, भामा, शारदा पिता धनाराम, चन्नीलाल पिता भुजबल, पारन्या, बलीराम, लखन, शिवापाल पिता कुवरलाल, उर्मिला पिता कुवरलाल, देवकी बेवा देवरू, विनोद, मनोज पिता देवरू, कल्पना पिता देवरू, दसरी, सरस्वती, विमला, गुन्ता, कमला पिता भुजबल नापोली बेवा नारायण, सा. देह भूमिस्वामी	254	0.923	0.047

3	कलाबाई पत्नी आनंदराव सा. देह भू-स्वामी	258 / 1	0.546	0.004
4	गुन्ता जौजे गनपती, सा. देह भू-स्वामी	258 / 2	0.202	0.011
		258 / 3	0.753	0.019
5	तुरसा बेवा भैया, मुकिंदराव, नत्थु, आनंदराव पिता भैया, सोनी, द्वारका पिता भैया, पंढरी पिता तुकाराम वली मों गुन्ता, गुन्ता बेवा तुकाराम सा. देह भू-स्वामी	259	0.202	0.022
6	कला बेवा निम्बा उर्फ लक्ष्मण, जाती कुंबी सा. देह भू-स्वामी	260 / 1 / 1	0.454	0.007
7	सुभाश, निम्बा पिता लक्ष्मण, सा. देह भू-स्वामी	260 / 1 / 2	0.503	0.007
8	नरसिंग, निम्बा पिता लक्ष्मण, सा. देह भू-स्वामी	260 / 1 / 3	0.290	0.007
9	सुर्यभान, निम्बा पिता लक्ष्मण, सा. देह भू-स्वामी	260 / 1 / 4	0.249	0.007
10	विष्णू श्रीराम पिता, धुरु, बाया, सकु, सया पिता धुरु, गोंडन, चिन्ध्या पुत्री धुरु सा. देह भू-स्वामी	260 / 2	1.475	0.014
11	आनंदराव पिता जानबा, सा. देह भू-स्वामी	261	0.465	0.066
12	मुन्ना पिता रून्जी सा. देह भू-स्वामी	262 / 1	0.872	0.050
13	कौतीका पति नत्थु, सा. देह भू-स्वामी	262 / 1	0.872	0.063
14	राम दयाल पिता किसन, कौसाबाई बेवा रघुनाथ, जगन पिता किसन, दया पुत्री किसन, हेमंत, राजे 1 पिता रघुनाथ, रखमणी, पिता रघुनाथ, सा. देह भू-स्वामी	267 / 2 / 1	1.270	0.072
15	सुगन्ती पुत्री किसन, माहो पुत्री किसन, बाबु, मल्लू, इन्दल, हरीराम पिता लालू, नान्ही बेवा लालू सा. देह भू-स्वामी	268 / 1	1.626	0.034
16	रामदयाल पिता किसन सा. देह भू-स्वामी	268 / 2	1.142	0.064
17	भूपेस पिता सुरतलाल, ललीता पिता सुरतलाल, पुजा सुरतलाल नाबालीक पिता सुरतलाल	268 / 3	0.485	0.014
योग:-			12.770	0.566

(2) चूंकि जल आवर्धन योजना अन्तर्गत बैराज एवं रास्ते के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 8-अ-82-20-21-7337

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	टेमुरनी	7.463	मेंढा मध्यम परियोजना हेतु ।

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	समशेर पुत्र सम्मत जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी	34/6	1.514	1.514
2	गजानंद पुत्र मूकचंद , दमड़ीबाई पुत्री मूकचंद, फन्दीबाई पुत्री मूकचंद जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी	35/2, 36	8.668	4.289
3	छतरू पुत्र सूम्मत जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी	34/5	1.514	1.514
4	सरपसिंग पुत्र पंचम जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी	34/1	0.148	0.148
योग		5	11.842	7.463

(2) चूंकि मेंढा मध्यम परियोजना अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (सजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैंस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

क्र. 8-अ-82-20-21-7337

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बेतूल (म०प्र०)	भैसदेही	टेमुरनी	7.463	मेंढा मध्यम परियोजना हेतु ।

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	समशेर पुत्र सम्मत जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी	34/6	1.514	1.514
2	गजानंद पुत्र मूकचंद , दमड़ीबाई पुत्री मूकचंद, फन्दीबाई पुत्री मूकचंद जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी	35/2, 36	8.668	4.289
3	छतरू पुत्र सूम्मत जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी	34/5	1.514	1.514
4	सरपसिंग पुत्र पंचम जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी	34/1	0.148	0.148
योग		5	11.842	7.463

(2) चूंकि मेंढा मध्यम परियोजना अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (सजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 10421-2-अ-82-भू-अर्जन-20-21

हरदा, दिनांक 26 जुलाई 2021

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-अ एवं ब के कॉलम (4) में वर्णित भूमि के कॉलम (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है।

राज्य शासन इसके लिए अनुसूची-अ एवं ब के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा-11 के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-अ

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर में	धारा-11 की उपधारा (1)द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
हरदा	टिमरनी	छीपानेर	0.801	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भं/स संभाग,हरदा	छोटी छीपानेर से नर्मदा नदी तक टू-लेन रोड निर्माण हेतु

अनुसूची-ब

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर में	धारा-11 की उपधारा (1)द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
हरदा	टिमरनी	चिचोट	0.237	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भं/स संभाग हरदा	छोटी छीपानेर से नर्मदा नदी तक टू-लेन रोड निर्माण हेतु

नोट:-

- भूमि का नक्शा,प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी टिमरनी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही को पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- सरकार की समुचित वेबसाईट www.harha.nic.in पर देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 69-2020-एलए-1473

खण्डवा, दिनांक 30 जुलाई 2021

[भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा 04 के अन्तर्गत]

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)पश्चिम रेल्वे इंदौर, द्वारा महु-सनावद के मध्य अमान परिवर्तन(गेज कर्नवर्जन)हेतु कार्य के दौरान ग्राम मोरघडी में रेल्वे स्टेशन एवं यार्ड के विस्तार हेतु निजी भूमि के उपयोग में आने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) के अध्याय-2 (अ) धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)/2014 -सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं अनय द्विवेदी, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु , 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	टप्पा-मांधाता तहसील-पुनासा	2	मोरघडी	5.950	महु-सनावद के मध्य अमान परिवर्तन(गेज कर्नवर्जन)हेतु कार्य के दौरान ग्राम मोरघडी में रेल्वे स्टेशन एवं यार्ड के विस्तार हेतु
				योग	5.950	

नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं उप मुख्य इंजीनियर, निर्माण-1, प.रेल्वे, इंदौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्रमांक 69-2020-एलए-1475

पुनासा, दिनांक 4 अगस्त 2021

[भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा 11(1) के अन्तर्गत]

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित पहुच मार्ग की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 - सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है। जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खण्डवा	टप्पा- मांधाता तहसील पुनासा	मोरघडी	5.950 है.	उप मुख्य इंजीनियर, निर्माण-1, प.रेल्वे, इंदौर	महू-सनावद के मध्य अमान परिवर्तन(गेज कर्नवर्जन) हेतु कार्य के दौरान ग्राम मोरघडी में रेल्वे स्टेशन एवं यार्ड के विस्तार हेतु

-: अनुसूची (2) :-

उप मुख्य इंजीनियर, निर्माण-1, प.रेल्वे, इंदौर प्रस्तावित महू-सनावद के मध्य अमान परिवर्तन(गेज कर्नवर्जन) हेतु . ग्राम- मोरघडी की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
1	2
40,42,425,409/1/1,409/1/2,409/2,409/3,409/4,409/5,409/6,409/7,409/8,409/9,409/10,409/11,409/12,409/13,409/14,409/15,411/1,833/1,815/1/1,815/1/2,820,822,829,830/1,821/1,821/2,821/3,824/1,824/2,24/3,825,826/2,827,828,831/1,831/2,832/1,832/2,832/3,833/2,869/3,869/1,861/1,857/1,863,855	5.950
योग :-	5.950

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं उप मुख्य इंजीनियर, निर्माण-1, प. रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 2043-भू-अर्जन-2021

बालाघाट, दिनांक 6 मार्च 2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013' की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—: अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	बालाघाट
ख.	तहसील	किरनापुर
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-कटंगी प०ह० 7
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	0.032 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	ग्राम का नाम	भूमिस्वामी का नाम	प्रस्तावित खसरा नम्बर	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)	भूमि की पृवृति
1	2	3	4	5	6
1	कटंगी	बलीराम पिता रामचंद सा.देह भूमिस्वामी	223/1	0.032	असिंचित
			कुल रकबा	0.032	

-2-

2- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- दूटी बांयी तट नहर प्रणाली की कोतरी मायनर के अंतर्गत ग्राम कटंगी में पड़ने वाली निजी भूमि अर्जन के संबंध में।

3- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट dm_balaghat@nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर देख जा सकता है।

4- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील किरनापुर जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है।

5- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण कार्य पालन यंत्री बैनगंगा संभाग बालाघाट के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक भू-अर्जन-2021-एच.एन. 39-रा.प्र.क्र. 02-अ-82-2021-2022

उज्जैन, दिनांक 11 अगस्त 2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में श्री महाकालेवर मंदिर के संबंध में नरसिंहघाट से चारधाम मंदिर ओपन पार्किंग के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/भूमिस्वामी एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि श्री महाकालेवर मंदिर के संबंध में नरसिंहघाट से चारधाम मंदिर ओपन पार्किंग के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
श्री महाकालेवर मंदिर के संबंध में नरसिंहघाट से चारधाम मंदिर ओपन पार्किंग हेतु भूमि का अधिग्रहण करने बाबत। (कस्बा उज्जैन)	0.590 हेक्टर

अनुसूची (2)

श्री महाकालेवर मंदिर के संबंध में नरसिंहघाट से चारधाम मंदिर ओपन पार्किंग के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन की प्रभावित भूमि का विवरण :- तहसील व जिला उज्जैन कस्बा उज्जैन

क्र.	मवन स्वामी का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा हेक्ट. में	अधिग्रहित रकबा	परिसम्पत्ति
1	श्री राजेन्द्र पिता स्व. मदनमोहन शर्मा, मुकेश पिता श्री जेठमल जैन	2538/2	0.7630	0.590 हेक्टर	भूमि

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 54-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2020-10130

सागर, दिनांक 14 दिसम्बर 2020

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता / निर्माण II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बीना 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बीना 3- सरपंच ग्राम पंचायत दुरुवा विकास खण्ड बीना 4- सचिव ग्राम पंचायत दुरुवा विकास खण्ड बीना
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	बीना
(ग)	ग्राम/नगर	हिरनछिपा
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	7.4864
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 46/1, 46/2, 46/4, 66/1, 46/3, 47/1/1, 47/1/2, 47/1/3, 47/1/4, 47/1/5, 48, 50, 51, 2/2, 2/1, 61/1, 70/1, 70/8, 70/7, 70/9, 67/9/4, 67/1/4/1, 67/1/4/2, 67/1/5/1, 67/1/5/3, 71/4, 67/4, 67/2, 67/7, 66/5, 66/3, 66/7, 66/2, 66/10/7, 66/10/1/1, 66/10/2, 66/16, 66/15, 66/10/5, 66/10/4, 66/10/6, 66/14, 66/13/2, 66/13/5, 66/13/1, 67/1/1, 71/3, 70/6, 67/1/2, 67/1/5/2, 67/1/6, 61/2, 67/9/1, 63/18, 63/98, 63/58, 63/106, 63/110, 63/105, 63/90, 63/45, 63/22, 63/134, 63/68, 63/68, 63/132, 63/11, 63/136, 63/133, 63/59, 63/63, 63/2/4, 63/4, 63/117, 63/2/1/1, 63/2/1/2, 63/2/1/3, 63/2/1/4, 63/2/2, 63/31, 63/101, 63/112, 63/3, 63/108, 63/76, 63/77 में से कुल रकवा 7.4864 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	7.4864 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र. 92-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-2405

सागर, दिनांक 12 मार्च 2021

मौजा सिमरिया चीतेभान तहसील खुरई

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता (निर्माण II) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खुरई 2- अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग खुरई 3- तहसीलदार, खुरई 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खुरई 5- अध्यक्ष, जनपद पंचायत खुरई 6- सरपंच ग्राम पंचायत वनहट वि.ख.खुरई
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	खुरई
(ग)	ग्राम/नगर	सिमरिया चीतेभान
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	0.371 हे.
(ड)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 20/1, 20/2, 20/3, 20/9, 20/10, 20/11/1, 20/11/2, 20/11/3, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 रकबा क्रमशः 0.130, 0.400, 0.200, 0.200, 0.17, 0.510, 0.200, 0.200, 0.800, 1.950, 1.280, 1.950, 0.100 हे. में से रकबा 0.371 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	0.371 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र. 93-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-2406

मौजा सुमरेड़ी तहसील खुरई

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता (निर्माण II) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खुरई 2- अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग खुरई 3- तहसीलदार, खुरई 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खुरई 5- अध्यक्ष, जनपद पंचायत खुरई 6- सरपंच ग्राम पंचायत कनऊ वि.ख.खुरई
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	खुरई
(ग)	ग्राम/नगर	सुमरेड़ी
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	2.323 हे.
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 483/1, 483/2, 486, 488/1, 488/2, 491/2, 492, 493, 494, 495/1, 495/2 रकवा क्रमशः 0.070, 0.070, 0.100, 0.060, 0.030, 0.800, 2.450, 0.940, 0.050, 0.170, 0.190 हे. में से रकवा 2.323 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	2.323 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र. 94-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-2407

मौजा सिलोधा तहसील खुरई

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता (निर्माण II) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खुरई 2- अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग खुरई 3- तहसीलदार, खुरई 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खुरई 5- अध्यक्ष, जनपद पंचायत खुरई 6- सरपंच ग्राम पंचायत सिलोधा वि.ख.खुरई
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	खुरई
(ग)	ग्राम/नगर	सिलोधा
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	4.108 हे.
(ड)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 177, 178, 179, 181, 182/1, 182/2, 183/1, 183/2, 184, 188, 189, 190/1, 190/2, 191/1, 191/2, 197, 198, 236, 237/1/1, 237/1/2, 237/2, 238, 242, 243, 246 रकवा क्रमशः 1.17, 1.150, 1.750, 1.500, 0.600, 0.180, 0.330, 0.330, 0.480, 3.520, 2.260, 1.640, 0.270, 0.780, 0.130, 1.060, 0.440, 2.770, 1.200, 1.470, 0.800, 1.630, 1.080, 0.470, 3.830 हे. में से रकवा 4.108 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	4.108 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र. 95-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-2408

सागर, दिनांक 12 मार्च 2021

मौजा बघोरा तहसील खुरई

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता (निर्माण II) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खुरई 2- अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग खुरई 3- तहसीलदार, खुरई 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खुरई 5- अध्यक्ष, जनपद पंचायत खुरई 6- सरपंच ग्राम पंचायत ढिकुआं वि.ख.खुरई
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	खुरई
(ग)	ग्राम/नगर	बघोरा
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	2.335 हे.
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 125/1, 125/2, 125/3 रकवा क्रमशः 3.760, 7.350, 3.600 हे. में से रकवा 2.335 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	2.335 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र. 96-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-2409

मौजा घटयारी तहसील खुरई
राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता (निर्माण II) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खुरई 2- अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग खुरई 3- तहसीलदार, खुरई 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खुरई 5- अध्यक्ष, जनपद पंचायत खुरई 6- सरपंच ग्राम पंचायत लाखनखेड़ा
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	खुरई
(ग)	ग्राम/नगर	घटयारी
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	0.261 हे.
(ड)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 208, 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 211/7, 211/8 रकवा क्रमशः 0.580, 8.000, 3.990, 0.140, 0.800, 0.400, 0.660, 0.400, 1.300 हे. में से रकवा 0.261 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	0.261 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र. 97-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-2410

मौजा बारधा तहसील खुरई

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता (निर्माण II) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खुरई 2- अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग खुरई 3- तहसीलदार, खुरई 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खुरई 5- अध्यक्ष, जनपद पंचायत खुरई 6- सरपंच ग्राम पंचायत बारधा वि.ख.खुरई
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	खुरई
(ग)	ग्राम/नगर	बारधा
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	8.508 हे.
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 25, 33, 34, 39, 40, 41, 265/1, 265/2, 265/3, 378/1, 379/2, 399, 398, 397 रकवा क्रमशः 3.700, 0.560, 2.900, 3.700, 1.760, 2.000, 6.000, 0.320, 3.820, 7.000, 5.600, 4.300, 0.718, 1.235 हे. में से रकवा 8.508 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	8.508 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 08-भू-अर्जन-प्र.क्र. 01-अ-82-2020-21

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2021

प्र.क्र. 01/अ-82/2020-21 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि के कॉलम नं. 7 में अंकित (क्षेत्रफल) भूमि सार्वजनिक प्रयोजन कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र.-2 जबलपुर, द्वारा जबलपुर शहर में दमोहनाका से मदनमहल (मेडिकलरोड) तक फलाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमि स्वामीयों का भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.-30 सन् 2013) की धारा 19 (4) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची -1 भूमि का विवरण

(क) जिला :- जबलपुर

(ख) तहसील :- अधारताल

(ग) ग्राम :- आमनपुर

(घ) रा.नि.म. :- अधारताल

(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल :- 2006.632 वर्ग मी. एवं इस पर आने वाली अन्य परिसम्पत्तियां

(च) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन - दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फलाई ओवर निर्माण

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

भाग-1 मदन महल रेलवे स्टेशन से अरविंद चौकसे के मकान तक								
स. क्र.	कृषक का नाम / (पिता/पति) का नाम	ग्राम	भवन की स्थिति कच्चा / पक्का / व्यवसायिक / आवासीय	ख.नं. एवं डाय. शीट क्र. /प्लॉ. क्र.	कुल रकबा (वर्गमीटर में)	अर्जित रकबा वर्गमीटर में	सीमाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम	भूमि पर स्थित संरचनाओं पेड़ों आदि यदि कोई हो का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मालती गुप्ता पति स्व. राकेश कुमार गुप्ता पिता राम कुमार गुप्ता निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक G+3	69/5 में सें	752.514 में सें 168.703 में सें	130.790	उत्तर - सड़क दक्षिण - अर्चना शोभा पूर्व - आलोक गुप्ता पश्चिम - नाला	ट्यूब वेल -1
2	आलोक गुप्ता, जगदीश गुप्ता पिता राम कुमार गुप्ता, शोभा गुप्ता पति राधेश्याम गुप्ता मालती गुप्ता पति स्व. राकेश गुप्ता अर्चना नेमा पति विजय कुमार नेमा निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	Open Plott	69/5 में सें	752.514 में सें	51.692	उत्तर -मालती आलोक दक्षिण - जगदीश शोभा पूर्व - खुला पश्चिम - मालती	

3	आलोक गुप्ता, जगदीश गुप्ता पिता राम कुमार गुप्ता, शोभा गुप्ता पति राधेश्याम गुप्ता राधेश्याम गुप्ता, अर्चना नेमा पति विजय कुमार नेमा मालती गुप्ता पति स्व. राकेश गुप्ता निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	Septic tank(Open Plott)	69/5 में सें	752.514 में सें	11.602	उत्तर - अर्चना नेमा दक्षिण - अनुरुध चौकसे पूर्व - जगदीश एवं गली पश्चिम - नाला	
4	शोभा गुप्ता पति राधेश्याम गुप्ता निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक GF	69/5 में सें	752.514 में सें	93.160	उत्तर - मालती गुप्ता दक्षिण - गली पूर्व - जगदीश पश्चिम - गली व अर्चानानेमा	
5	आलोक गुप्ता पिता राम कुमार गुप्ता निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	टीन शेड	69/5 में सें	752.514 में सें	11.385	उत्तर - मालती गुप्ता दक्षिण - अर्चना गुप्ता पूर्व - शोभा एवं गली पश्चिम - नाला	
6	अर्चना नेमा पति विजय कुमार नेमा, विजय कुमार नेमा पिता हल्कराम नेमा निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	Open Plott	69/5 में सें	41.806	41.806	उत्तर - आलोक, मालती दक्षिण - जगदीश अन्य पूर्व - गली, शोभा गु. पश्चिम - नाला	
7	जगदीश गुप्ता पिता राम कुमार गुप्ता निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक G+3	69/1 में सें	752.514 में सें	28.560	उत्तर - मालती, आलोक दक्षिण - अनुरुध चौकसे पूर्व - जगदीश एवं सड़क पश्चिम - शोभा गुप्ता	
8	अनुरुध चौकसे पिता स्व. नाथूराम चौकसे निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक G+1	69/1 में सें	752.514 में सें	120.750	उत्तर - जगदीश गुप्ता दक्षिण - अनुज चौकसे पूर्व - शेष भवन रोड पश्चिम - नाला	ट्यूब वेल -1
9	मनोहर लाल चौकसे पिता नन्हेलाल चौकसे अनुज चौकसे पिता मनोहर लाल चौकसे निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक G+1	69 डा.शी. क्र.8 प्ला.क्र. 12/4 /2 में से	65.032	65.032	उत्तर - अनुरुधचौकसे दक्षिण - मनोहरलाल पूर्व - दुकान एवं रोड पश्चिम - नाला	
10	मनोहर लाल चौकसे पिता नन्हेलाल चौकसे निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक G+1	69 में सें	104.516 में सें	76.260	उत्तर - अनुज चौकसे दक्षिण - कृष्ण कुमार पूर्व - रोड पश्चिम - नाला	

11	श्रीमति प्रतिमा सिंह बैस पति स्व.कृष्ण कुमार बैस (स्व.कृष्ण कुमार बैस पिता हनुमान सिंह बैस) निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक G+2	69 डा.शी. क्र.8 प्ला.क्र. 13/1	376.257 में सें	274.400	उत्तर - मनोहर लाल दक्षिण - मनीष पूर्व - मदन महल स्टेशन रोड पश्चिम - नाला	आम का पेड़
12	मनीष कुमार चौकसे पिता अनुरुद्ध चौकसे निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक (बेसमेंट एवं G+3)	69/1 में सें	188.129 में सें	137.000	उत्तर - कृष्ण कुमार दक्षिण - प्रवीण चौकसे पूर्व - मदन महल स्टेशन रोड पश्चिम - नाला	ट्यूब वेल -1
13	प्रवीण कुमार चौकसे पिता अनुरुद्ध चौकसे निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक (बेसमेंट एवं G+3)	69/1 में सें	188.129 में सें	134.522	उत्तर - मनीष कुमार दक्षिण - जगदीश कुमार पूर्व - मदन महल स्टेशन रोड पश्चिम - नाला	
14	संजय कुमार लखोटिया जगदीश प्रसाद, सूरज कुमार पिता बृजमोहन (होटल कनक) निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक G+2	69/1 में सें	418.063 में सें	256.060	उत्तर - प्रवीण कुमार दक्षिण - रोड पूर्व - मदन महल स्टेशन रोड पश्चिम - नाला	ट्यूब वेल -1
15	शासकीय रोड	आमनपुर		69 में सें			उत्तर - जगदीश लखोटिया दक्षिण - विष्णु प्रसाद पूर्व - रोड पश्चिम - रोड	
16	विष्णु प्रसाद लखेरा पिता छुन्नी लाल लखेरा निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक G+1	69/3 में सें	116.129 में सें	91.200	उत्तर - रोड दक्षिण - मदन मोहन पूर्व - मदन महल स्टेशन रोड पश्चिम - शेष हिस्सा	
17	मदन मोहन पिता छुन्नी लाल लखेरा निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक G+1	69/3 में सें	116.129 में सें	76.000	उत्तर - विष्णु प्रसाद दक्षिण - आशीष नेमा पूर्व - मदन महल स्टेशन रोड पश्चिम - शेष हिस्सा	
18	आशीष नेमा पिता सुमन नेमा निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	आवासीय GF	69/1 में सें	153.289 में सें	77.850	उत्तर - मदन मोहन दक्षिण - श्याम सुंदर पूर्व - मदन महल स्टेशन रोड पश्चिम - शेष हिस्सा	
19	श्याम सुन्दर नेमा पिता सुमन नेमा निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	आवासीय G+1	69/1 में सें	83.612 में सें	24.540	उत्तर - आशीष नेमा दक्षिण - सुशीला बाई पूर्व - मदन महल स्टेशन रोड पश्चिम - शेष हिस्सा	ट्यूब वेल कुँआ -1

20	श्रीमति सुशीला बाई शर्मा पति स्व.सुरेश प्रसाद शर्मा (जैन किराना स्टोर) निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक GF	69/5 में से	334.450 में से	50.400	उत्तर - श्याम सुंदर दक्षिण - बृजबिहारी एवं अरविंद चौकसे पूर्व - मदन महल स्टेशन रोड पश्चिम - शेष हिस्सा	
21	श्री बृजबिहारी पालीवाल पिता सारदा प्रसाद पालीवाल निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक GF	69/4 में से	11.94 में से	3.577	उत्तर - सुशीला बाई दक्षिण - उषा अग्रवाल पूर्व - रोड पश्चिम - अरविंद चौकसे	
22	श्रीमति उषा अग्रवाल पति आर.एन.अग्रवाल (केनरा बैंक ए.टी.एम.) निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक GF	69/4 में से	11.94 में से	1.752	उत्तर - बृजबिहारी दक्षिण - अरविंद चौकसे पूर्व - रोड पश्चिम - अरविंद चौकसे	
23	श्रीमति अनीता चौकसे पति स्व. अरविंद चौकसे, अक्षयराज चौकसे अनमोल चौकसे दोनो के पिता स्व. अरविंद चौकसे (स्व. श्री अरविंद चौकसे पिता सहदेव चौकसे) निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	आवासीय	69/4 में से	376.26 में से	0.165	उत्तर - उषा अग्रवाल दक्षिण - शेष भवन पूर्व - मदन महल स्टेशन रोड पश्चिम - शेष भवन	
24	श्रीमति अनीता चौकसे पति स्व. अरविंद चौकसे, अक्षयराज चौकसे अनमोल चौकसे दोनो के पिता स्व. अरविंद चौकसे श्री बृजबिहारी पालीवाल श्रीमति उषा अग्रवाल पति आर.एन.अग्रवाल (स्व.श्री अरविंद चौकसे पिता सहदेव चौकसे) निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक खुली भूमि	69/4 में से	376.26 में से	14.000	उत्तर - खुला दक्षिण - खुला पूर्व - मदन महल स्टेशन रोड पश्चिम - शेष भवन, बृजबिहारी, उषा अग्रवाल	
25	राजेश पटेल पिता लालजी माई पटेल निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	आवासीय खुली भूमि	52 डा.शी. क्र.8 प्ला.क्र. 8/1 में से	163.509	163.509	उत्तर - रोड दक्षिण - लालजी माई पूर्व - नाला पश्चिम - मायाबेन राठौर	आम का पेड़-1
26	शिवजी माई, लालजी माई पिता प्रेमजी माई पटेल निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	आवासीय G+1	52 डा.शी. क्र.8 प्ला.क्र. 8/2 में से	459.870 में से	32.035	उत्तर - राजेश पटेल दक्षिण - शेष भवन पूर्व - नाला पश्चिम - शेष भवन	

27	मायाबेन राठौर पति शांति लाल राठौर निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	आवासीय GF	52 डा.शी. क्र.8 प्ला.क्र. 8/3 में से	269.361 में से	10.200	उत्तर - रोड दक्षिण - लालजी भाई पूर्व - राजेश पटेल पश्चिम - शेष भवन
					योग	1978.247	
भाग-2 मदन महल चौराहा पेट्रोल पंप के पास							
28	श्री राजेश गुलाटी पिता कुलदीप राम गुलाटी (नमामी आइसक्रीम) निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक व्यवसायिक पक्का	86/1 में से	-	7.004	उत्तर - राजेश की शेष दुकानें दक्षिण - नाला पूर्व - रोड पश्चिम - शेष भवन
29	श्री देवेन्द्र कुमार जैन पिता स्व. वीरनलाल जैन निवासी - मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर	आमनपुर	व्यवसायिक पक्का	81/7 में से	21.381	21.381	उत्तर - शलेन्द्र कौरव दक्षिण - रोड पूर्व - शेष भाग एवं अन्य पश्चिम - रोड
					योग	28.385	
					कुल योग (भाग 1 एवं 2)	2006.632	

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाई ओवर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (2) चूँकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं उक्त दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाई ओवर निर्माण का कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है। भू-अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा 2 के तहत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट WWW.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट WWW.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (हॉट बजार विजय नगर) तहसील-अधारताल, जिला-जबलपुर के कार्यालय में एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र.-02 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र. 143-भू-अर्जन-2021

खरगोन, दिनांक 26 अगस्त 2021

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-19 की उपधारा-1 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

(1) भूमि का वर्णन:-

(क)जिला	खरगोन
(ख)तहसील	भीकनगांव
(ग)ग्राम	खारवी
(घ)अर्जनिय भूमि का क्षेत्रफल	0.810 हे०

खसरा न.	रकबा (हे०में)
158/1	0.284
158/2	0.526
योग :-	0.810

2- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- "भीकनगांव-बिजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-4 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु"।

3- प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी कृषक का विस्थापन नहीं किया जाना है, जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

4- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी,रा० एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुग्रहा पी., कलेक्टर एवं समुचित सरकार.